वर्ष 16 अंक 2
ग्रीष्म 2026

करुणा-मित्र

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

संपादकीय *वर्मिन*

मनुष्यों और प्राणियों के बीच संघर्ष के चलते अंग्रेज़ों ने भारत में 'वर्मिन' (मनुष्यों और खेत की फसल के लिये नुकसानदेह जीव) का कॉन्सेप्ट शुरू किया। शिकारियों को उन जानवरों को मारने या खत्म करने के लिए पैसे दिए जाते थे, जिन्हें पेस्ट (हानिकारी जीव) माना जाता था। इस तरह अनुग्रह शिकार करना, खेल के लिए शिकार करने के अतिरिक्त था।

अनुसूचि **V** जिसमें 'वर्मिन' की सूची थी, उसे वन्यजीवन (सुरक्षा) सुधार अधिनियम, 2022 से पूरी तरह हटा दिया गया है। कोई सोच सकता है कि यह अच्छी खबर है कि अब कोई भी जानवर या पक्षी बतौर 'वर्मिन' सूचीबद्ध नहीं है और इसलिए उसका शिकार करने की अनुमति नहीं है। लेकिन, यह उतना सीधा-सादा नहीं है, जितना कि दिखता है। 'वर्मिन' का मतलब अब अधिनियम के अनुभाग 62 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया कोई भी जंगली पशु है। अनुभाग 62 में लिखा है: कुछ जंगली प्राणियों को वर्मिन घोषित करना – केंद्र सरकार, अधिसूचना खख के माध्यम से, अनुसूचि में विनिर्दिष्ट प्राणियों को छोड़कर किसी भी जंगली प्राणी को किसी भी क्षेत्र के लिए वर्मिन घोषित कर सकती है और उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए और जब तक ऐसी अधिसूची लागू है, तब तक ऐसे वन्य पशु को ऐसे क्षेत्र कि अनुसूचि खख में शामिल नहीं माना जाएगा और उस अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के लिए नहीं माना जाएगा। अनुसूचि 11 में 41 स्तनपायी प्राणी, 864 पक्षी, 12 सरीसृप, 5 जलथलचर, 58 कीड़े, 14 सीप, 10 स्पंज शामिल हैं। अब उन्हें आसानी से 'वर्मिन' घोषित किया जा सकता है।

रीसस मकाक (बंदर) वर्मिन के रूप में सूचीग्रस्त।
तसवीर सौजन्य: wikimedia.org

विगत कुछ वर्षों में, मनुष्य-प्राणी टकराव का हवाला देते हुए, नीलगाय, जंगली सूअर, साही, हिरण, खरगोश, सियार, बंदर, मोर और तोते जैसे जंगली जीवों को, जिन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, 'वर्मिन' घोषित किया गया है और हर शव के लिए अच्छे-खासे पैसे देकर उन्हें मारने के लिए बढ़ावा दिया गया है। हालांकि, जाल और ज़हर का उल्टा असर हुआ है क्योंकि वे जंगली और पालतू दोनों तरह के दूसरे जानवरों को अपनी ओर खींचते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के जालौर के एक किसान ने सुझाव दिया है कि नीलगाय को मारने के बजाय, सरकार को उन्हें बेहोश करके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या किसी दूसरे वन्य जीव अभयारण्य में ले जाना चाहिए।

भरत कापडीआ
संपर्क: **editorkm@bwcindia.org**

फार्म IV (कृपया नियम 8 देखें)
***करुणा-मित्र* समाचार पत्र के स्वामित्व संबंधित विवरण –**
प्रत्येक फरवरी माह के अंतिम दिवस के
बाद प्रकाशित अंक में प्रकाशन आवश्यक विवरण
प्रकाशन स्थल: ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत),
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
प्रकाशन अवधि: त्रैमासिक।
मुद्रक का नाम: योगेश दाभाडे। क्या भारत के नागरिक हैं: हां।
पता: श्री मुद्रा 181 शुक्रवार पेठ, पुणे 411 002
प्रकाशक का नाम: डायना रत्नागर,
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत)। क्या भारत के नागरिक हैं: हां।
पता: 4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
संपादक का नाम: भरत कापडीआ। क्या भारत के नागरिक हैं: हां।
पता: आस्था, 4 प्रकाश सोसायटी, निर्मला रोड, राजकोट 360 007
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा
जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हो:
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत),
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
मैं, डायना रत्नागर, एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।
दिनांक: 1 मार्च 2026 हस्ताक्षरित
डायना रत्नागर, (प्रकाशक)

हाथियों के शोषण के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन

सेव द एलिफेंट डे पर जुटे कार्यकर्ता, बोले–हाथी मनोरंजन का साधन नहीं, आमेर में बंद हो हाथी सवारी

शुभोब्रतो घोष एवं अनुराग त्रिवेदी की रिपोर्ट

सेव द एलिफेंट डे (Save the Elephant Day) के अवसर पर विश्व प्राणी संरक्षण संगठन (Animal Protection Organisation) की ओर से गुरुवार को जयपुर के जवाहर सर्कल पर कलात्मक विरोध प्रदर्शित किया। यह प्रदर्शन फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा की ओर से किए गए पेंटेड हाथी फोटोशूट के विरोध में किया गया।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने 'हाथी मनोरंजन का साधन नहीं हैं' का संदेश देते हुए हाथियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। युवा कार्यकताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर लोगों को जागरुक किया। इस मार्च के दौरान छात्रों की संख्या ज्यादा रही, कुछ स्कूली छात्रों ने भी इसमें हिस्सा लिया।

संगठन के अनुसार भारत में 2,500 से अधिक हाथी कैद में हैं। वर्ष 2009 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से चिड़ियाघरों में हाथियों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के बावजूद इसका पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी चुनौती बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाथियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह प्रक्रिया धीमी है।

पिंक एलिफेंट फोटोशूट पर हुआ विवाद

रूस की मशहूर फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा ने जयपुर के 'गुलाबी' रंग को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए हाथी गांव के हाथी चंचल को गुलाबी रंगने के बाद फोटोशूट किया। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और प्राणी-अधिकार (Animal Rights) वालों ने इसके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया।

आमेर किले में हाथियों की स्थिति पर उठे सवाल

प्रदर्शन के दौरान जयपुर के आमेर किले में पर्यटकों के लिए कराई जाने वाली हाथी सवारी को लेकर भी चिंता जताई गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां हाथियों को कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है– जिससे उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राणी कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board of India) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट (Project Elephant) द्वारा भी पिछले वर्षों में इस मुद्दे को बार-बार उठाया गया है।

विश्व प्राणी संरक्षण (World Animal Protection) के वाइल्डलाइफ कैंपेन मैनेजर शुभोब्रतो घोष ने कहा कि कैद का वातावरण हाथियों के प्राकृतिक जीवन के अनुकूल नहीं होता।

जयपुर में विरोध प्रदर्शन की एक झलक।
***तसवीर सौजन्य:* sarhadkasakshi.com**

जंगल में हाथी प्रतिदिन 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं, जबकि कैद में यह संभव नहीं है। अकेले रखे गए हाथियों में मानसिक तनाव अधिक देखने को मिलता है, जिसमें लगातार झूलना जैसी गतिविधियां शामिल हैं, जो गंभीर तनाव का संकेत है। हाल ही के समय में कई घटनाओं ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। दिसंबर 2025 में काजीरंगा नेशनल पार्क में 'स्वर्णिमोयी' नामक हाथी की मौत, त्रिपुरा में हाथियों की मौतें तथा उत्तराखंड के कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में हाथी सफारी की वापसी ने चिंता बढ़ा दी है।

सरकार से हस्तक्षेप की मांग

शुभोब्रतो घोष ने कहा कि सेव द एलिफेंट डे के अवसर पर राजस्थान सरकार से अपेक्षा है कि आमेर किले में हाथी सवारी को बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं और हाथियों को सुरक्षित अभयारण्यों में स्थानांतरित किया जाए। प्रदर्शन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि हाथी संवेदनशील जीव हैं और उनका मनोरंजन के साधन के रूप में उपयोग करना उनके साथ अन्याय है।

आघातपूर्ण गुलाबी हाथी

बी डब्ल्यू सी को यह जानकर गहरा धक्का लगा कि एक रूसी तस्वीरकार को 'हाथी गाँव' की 67 वर्षीय हथिनी 'चंचल' को गुलाबी रंग से रंगने की अनुमति दी गई थी। इस तनाव के कारण शायद कुछ महीनों बाद उस हथिनी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हमने राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री से इस कार्य की अनुमति देने हेतु उत्तरदायी सरकारी कर्मियों के विरुद्ध तुरंत और सख़्त कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि इस क्रूर हरकत के फलस्वरूप शायद पर्यटक राज्य के 'गुलाबी नगर' जयपुर में आना ही बंद कर देंगे।

विश्व भर में पशु कल्याण के विषय में सकारात्मक प्रगति के समाचार!!

नीलमकांत जीवमित्र, मिशन-जीवनमित्र, द्वारा संकलित

ऑस्ट्रेलिया

कोआला (घेरश्रर) के संरक्षण का कार्य चल रहा है। न्यू साउथ वेल्स ने 2022 में कोआला की प्रजाति को 'लुप्तप्राय' घोषित किया था। फिर उनकी रक्षा के लिये 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं और आवास गलियारों का विस्तार किया गया है। 'Save Koala' प्रयासों के अंतर्गत 2025 में ग्रेट कोआला नेशनल पार्क का विस्तार किया गया। अब इसकी 1,76,000 हेक्टेयर भूमि में लकड़ी की कटाई बंद हो गई।

ब्राज़िल

बिल्लियों और कुत्तों पर अत्याचार प्रतिबंध: 2020 का कानून- बिल्ली या कुत्ते की मृत्यु या चोट पर 2-5 वर्ष की कैद, जुर्माना और भविष्य में पशु स्वामित्व पर प्रतिबंध लग सकता है।

कनाडा

बड़े बंधक जानवरों पर प्रतिबंध: प्रांतीय प्रतिबंध 2024 में संघीय दिशा निर्देशों में समाप्त हुए; चिड़ियाघर/अभयारण्य 2029 तक चरणबद्ध रूप से बंद किये जायेंगे।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
काटू सिंघवा
के प्रति आभारी है
जिन्होने अपनी वसीयत में इस वर्ष
COMPASSIONATE FRIEND
और
करुणा-मित्र
के एक अंक को प्रकाशित
करने के लिए
उदारतापूर्वक दान दिया

चीन

पांडा अब विलुप्ति के खतरे से बाहर: IUCN ने 2016 में पांडा को 'लुप्तप्राय:' घोषित कर दिया गया था। पर 2025 में इनकी वन्य आबादी 1,900 पुष्ट की गई। अब पांडा का स्तर 'संवेदनशील'में कर दिया गया।

यूरोप

यूरोपीय संघ में फर फार्मिंग(कृषिकारी) की चरणबद्ध समाप्ति: 2025 तक 27 में से 23 देशों ने इस व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। इससे लाखों मिंक को क्रूर पिंजरों से मुक्ति मिली।

फ्रांस

सर्कस में जंगली जानवरों पर 2021 से प्रतिबंध की पुष्टि : दो वर्ष के चरणबद्ध कार्यक्रम के बाद प्रदर्शन समाप्त, सात वर्ष बाद स्वामित्व पर प्रतिबंधित।

ग्वाटेमाला

जगुआर और मैकॉ संरक्षण के लिए तेल निष्कर्षण रोका: ग्वाटेमाला ने 2026 में लगुना डेल टिग्रे (माया बायोस्फीयर रिजर्व) में तेल संचालन समाप्त किया, जगुआर आवास, वर्षावन संरक्षण और चोरी-शिकार रोकथाम को प्राथमिकता दी।

हंगरी

आवारा कुत्तों के लिए थर्मल आश्रय: 2023-2024 के जाड़ों में बुडापेस्ट जैसे शहरों ने भीषण ठंड में गर्म आश्रय लगाए, सैकड़ों आवारा कुत्तों को बचाया। यह कार्य अब भी जारी है।

इंडोनेशिया

2023 से हाथी की सवारी प्रतिबंधित। नैतिक पर्यटन को बढ़ावा, शोषण कम हुआ।

भारत

प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता: 2022 (नवीनतम पूर्ण गणना) में बाघों की संख्या 3,682 पहुंची, एक दशक में 30% वृद्धि। प्रोजेक्ट चीता में 2025 तक 20+ बच्चे जंगली जन्मे।

मेक्सिको

2021-2023 के दौरान चरणबद्ध रुपसे डॉल्फिन शो समाप्त; बंधक डॉल्फिनों का पुनर्वास/बन्य रिलीज या अभयारण्य में स्थानांतरित, नए शो प्रतिबंधित।

नेपाल

2024 (पूर्ण वर्ष) में गैंडों का शिकार शून्य हो गया। सामुदायिक रेंजर और चोरी-शिकार रोकथाम तकनीक से सफलता हासिल।

नेदरलैंड्स

एम्स्टर्डम में 2024 में लगभग सवा करोड़ रुपये खर्च कर लगभग 50 नहरों में बिल्लियों के लिये 'कैट रैंप' (उरीं ठरा) बनवाऐ गये। इससे बिल्लियों के डूब जाने की संख्या में भारी कमी आई।

पेटागोनिया

अर्जेंटीना और चिली के निकट क्षेत्र को पेटागोनिया कहते है। यहां पर व्हेल/डॉल्फिन जैसे विशालकाय समुद्री जीवों के लिए समुद्री क्षेत्र का विस्तार किया गया। 2022 से इसमें 20% वृद्धि हुई। इससे दक्षिणी राइट व्हेल और डॉल्फिन की बढ़ती संख्या साफ देखी जा सकती है।

अमेरिका

फ्लोरिडा में 2021 में अधिनियम बनाकर उसके अनुसार दोषी अत्याचारियों के लिए पालतू (झशीं) पशुओं को रखने पर प्रतिबंध लग गया है। गंभीर क्रूरता पर तो आजीवन प्रतिबंध है, पर मामूली मामलों में न्यायिक विवेक से निर्णय लिया जायेगा।

जैन वीगन व्यंजन

इस स्तंभ के अंतर्गत जैन वीगन व्यंजन बनाने की विधि प्रस्तुत है। यदि आप भी कोई रेसिपी भेजना चाहते हैं, तो पत्र/ई-मेल के द्वारा भेजें। वीगन से हमारा तात्पर्य यह है कि शाकाहारी लोगों की ऐसी श्रेणी, जोकि खाने-पीने में प्राणिज पदार्थ से बनी किसी भी वस्तु के प्रयोग से दूर रहते हैं। निम्नदर्शित व्यंजन आपकी प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) सिस्टम को न केवल बढ़ावा देती है, आरोग्यप्रद और स्वादिष्ट भी है।

बेंगाल ग्राम – चना दाल

बेंगाल ग्राम (चना दाल) एक बहुत ही पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर फली है, जिसमें फाइबर, विटामिन और खनिज भरपुर मात्रा में होते हैं। यह खास तौर पर अपने उच्च मैंगनीज के लिए जाना जाता है, जो ऊर्जा बनाने में मदद करता है, और उच्च फोलेट के लिए,जो खून बनाने के लिए ज़रूरी है। यह लौह का भी अच्छा स्रोत है, जो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में सहायता करता है। बेसन, या चने का आटा, बेंगाल ग्राम को पीसकर बारीक पाउडर बनाकर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग पकौड़े और चीले के लिए घोल बनाने में किया जाता है, साथ ही पारंपरिक लड्डू बनाने में भी, जिनमें आमतौर पर घी होता है। लेकिन इसका वीगन संस्करण अधिक स्वादिष्ट होता है।

बेसन के लड्डू *(10 लड्डू बनाने के लिए)*

सामग्री

200 ग्राम बेसन

100 ग्राम नारियल का तेल

120 ग्राम बूरा (पिसी हुई शक्कर)

1 टेबल स्पून बादाम का दूध

40 ग्राम ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, पिस्ता कुल मिलकर)

1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

बनाने की विधि

कढ़ाई में नारियल का तेल गरम करें, उसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनें।

जब बेसन भुनने पर आ जाए तब इसमें बादाम का दूध डालकर मिलाएं और 2-3 मिनिट और भूनें, (ऐसा करने से बेसन रवीला होता है जिससे लड्डू दानेदार बनते हैं)।

अब गरम बेसन में ही ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर मिलाएं और फ्लेम ऑफ करके बेसन को ठंडा होने दें।

अब बूरा डालकर अच्छे से मिक्स करें और इनके लड्डू बना लें। अब एक प्लेट में थोड़ा बूरा लेकर सभी लड्डुओं को इसमें कोट करें।

बेसन को अच्छे से भूनना आवश्यक है, ताकि लड्डू का स्वाद बेहतरीन हो।

बी डब्ल्यू सी द्वारा जांचे-परखे व आस्वाद किये गए स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि का संकलन देखने के लिए कृपया www.bwcindia.org/Web/Recipes/Recipesindex.html की मुलाकात लें।

प्रकाशक: डायना रत्नागर,
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
सम्पादक: भरत कापडीआ
डिझाईन: दिनेश दाभोळकर
मुद्रण स्थल: 181 शुक्रवार पेठ, पुणे 411 002

करुणा-मित्र
का प्रकाशनाधिकार
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के पास सुरक्षित है।
प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना
किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री
की अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

करुणा-मित्र प्राणिज पदार्थ-रहित कागज़
पर मुद्रित किया जाता है,
और प्रत्येक
बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई),
वर्षा (अगस्त) एवं शिशिर (नवम्बर)
में प्रकाशित किया जाता है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
+91 74101 26541 admin@bwcindia.org bwcindia.org

Scan me

केवल निजी प्रचलन हेतु Reg. No. 022203/30/86/AL/TC